कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर।
प्रशासनिक आदेश संख्या–३०२ दिनांकः 20 अगस्त, 2020

<u>आदेश</u>

कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री श्यामजी श्रीवास्तव व महामंत्री श्री कपिल दीप सचान द्वारा आज दिनांक 20.08.2020 को इस आशय के तथ्यों की लिखित सूचना दी गयी कि उनकी संस्था के सदस्य अधिवक्ता श्री विजय शंकर पुत्र स्व0 प्रताप सिंह, निवासी 65/91 मोती मोहाल, थाना हरबंशमोहाल, कानपुर नगर कल दिनांक 19.08.2020 को कोविड–19 टेस्ट मे पाजिटिव पाये गये हैं और वे लगातार कचेहरी आ रहे थे, कचेहरी परिसर मे कई लोगों के सम्पर्क मे आये हैं, इसलिए परिसर को सैनेटाइज कराया जाना आवश्यक है।

कानपुर बार एसोसिएशन द्वारा प्राप्त लिखित सूचना के पश्चात मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर को मेरे द्वारा पत्र लिखा गया और उनसे अपेक्षा की गयी कि वह अपनी राय शीघ्र उपलब्ध करावें जिससे कि इस सम्बन्ध मे कोई आदेश पारित हो सके। मुख्य चिकित्साधिकारी से मेरी मोबाइल फोन के माध्यम से बात हुयी तो उन्होने अवगत कराया कि कोरोना महामारी के कानपुर नगर मे अत्यधिक रूप से फैले होने के कारण वे व्यस्त हैं, उनकी रिपोर्ट आने मे विलम्ब हो सकता है, लेकिन शासनादेश सं0 902 (1)/पांच–5–2020 दिनांकित 31.05.2020 के प्रकाश मे सिविल कोर्ट, कानपुर नगर को 24 घंटे के लिए बन्द किया जाएगा तथा इसे दो बार विसंक्रमित कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो–जो व्यक्ति अधिवक्ता श्री विजय शंकर के निकट सम्पर्क 1 मीटर से कम दूरी तथा 15 मिनट से ज्यादा आये हों, उन्हे 14 दिन के लिए क्वारेन्टाइन कराया जाएगा। मुख्य चिकित्साधिकारी से मोबाइल पर हुयी बातचीत के उपरान्त इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी रिपोर्ट आने मे विलम्ब हो सकता है तथा अधिवक्ता श्री विजय शंकर की कोविड–19 टेस्ट रिपोर्ट पाजिटिव कल दिनांक 19.08.2020 को ही पा ली गयी है, मैं उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश एवं माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक कमांक 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad Dated: 03 June 2020 के निर्देश सं0 15 के प्रकाश मे सिविल कोर्ट को कल दिनांक 21.08.2020 को 24 घंटे के लिए बन्द किया जाना उचित पाता हूं जिससे पूरे सिविल कोर्ट कैम्पस को विसंकमित कराया जा सके।

अतः जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर नगर दिनांक 21.08.2020 को बन्द रहेगा। न्यायालय परिसर एवं न्यायालय भवनों को पूर्णतया दो बार सैनेटाइज कराया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट व नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी की होगी। सिविल कोर्ट के दो बार विसंक्रमित कराए जाने के सम्बन्ध मे प्रभारी अधिकारी नजारत रिपोर्ट देंगे तथा वह सुनिश्चित करेंगे कि उनके व सी0एम0एम0 के निर्देशन मे पूरे सिविल कोर्ट के विसंक्रमण की कार्यवाही अच्छी तरह से सम्पादित हो जाए। सिविल कोर्ट के विसंकमित हो जाने के पश्चात ही इसको खोला जाएगा। उन अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अधिवक्तागण जो संक्रमित अधिवक्ता श्री विजय शंकर के सम्पर्क मे आये हों, से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं को क्वारेन्टाइन करें।

दिनांक 21.08.2020 को नियत जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई अगले कार्य दिवस 24.08.2020 को होगी। इसी प्रकार दिनांक 21.08.2020 को नियत बहस एवं धारा 313 द0प्र0सं0

की पत्रावलियां दिनांक 24.08.2020 को पेश होंगी। शेष समस्त दीवानी वादों मे सामान्य तिथि 25.09.2020 तथा फौजदारी वादों मे सामान्य तिथि 16.10.2020 नियत की जाती है।

आज पारित आदेश से समस्त कर्मचारीगण, अधिकारीगण सूचित हो तथा सूचना माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित की जाए। आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। आदेश की प्रति अध्यक्ष/महामंत्री बार एसोसिएशन व दि लायर्स एसोसिएशन, कानपुर नगर को प्रेषित की जाए।

जिलाधिकारी, कानपुर नगर, मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर एवं नगर आयुक्त, कानपुर नगर को सम्पूर्ण न्याय भवनों एवं बार की पूर्णतया साफ–सफाई एवं दो बार सैनेटाइजेशन हेतु अलग से पत्र प्रेषित किया जाए।

(अशोक कुमार सिंह–III)
जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर।
जनपद न्यायाधीश
कानपुर नगर